प्रेस नोट
दिनांक 19.01.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–09/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गुलेराज उर्फ गुल्ली पुत्र रामलखेलावन उर्फ धमसा नि0 ग्राम नयापुरवा पसका थाना परसपुर जनपद गोण्डा को ग्राम नयापुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 19.01.2025 को थाना परसपुर के उ0नि0 संदीप वर्मा मय हमराह के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त ग्राम नयापुरवा में मौजूद है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा बताये गए स्थान पर पहुंचकर कर अभियुक्त गुलेराज उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु चोरी/लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. गुलेराज उर्फ गुल्ली पुत्र रामलखेलावन उर्फ धमसा नि0 ग्राम नयापुरवा पसका थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–09/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 संदीप वर्मा।
02. का0 राहुल कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।